PDF Compressor Free Version

FORM-II

(for Projecs Other than linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector

No- 1/2018

Deted- 17 Jan.,2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **286.47** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Manoj Kumar Goyal, Executive Engineer, Water Resources Department Div., iii Baran** (name of user agency) **Hathiadeh Medium Irrigation Project** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Karvari Khurd, Karvari Kalan, Bamandeh, Gordhanpura(Banjh Amali) (4) Villages in Kishanganj - Tehsil** It is Further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **286.47** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **A** to **C.**

(b) the proppsal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers,who eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has cerfified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Karvari Kalan & Sunwas (2) in Kishanganj** is enclosed as annexure A(1) to annexure A(2)

PDF Compressor Free Version

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) `the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,

(f) the rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e)of the FRA.

Encl; As above

Signature

(Dr. S.P.Singh)

President of District Level committees &

District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

PDF Compressor Free Version

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राज0)

क्रमांक / रीडर / डी0एम0 / वनाधिकार / 18 / ७५

दिनांक– 17.01.2018

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक दिनांक 17.01.2018 कार्यवाहीं विवरण

आज दिनांक 18.01.2018 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(1) के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में लंबित आवासीय कुल 249 एकल दावों एवं धारा, 3(2) के तहत हथियादेह मध्यम सिचांई परियोजना तहसील किशनगंज के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट तहसील–छीपाबडौद में जाने वाली पाईप लाईन के प्रत्यावित प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर, प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा गया।

1– वनाधिकार एकल दावों का निस्तारण धारा 3(1) के दावे–

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज से आवासीय कुल 249 दावे प्राप्त होने पर इन सभी दावों को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया। दावों का अवलोकन से पाया गया कि सभी दावों में साक्ष्य यथा राशनकार्ड, शपथपत्र, पहचानपत्र, आधार कार्ड, नल व बिजली से संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जबकि गुगल इमेज के आधार पर कुछ दावेदारों का रहवास प्रमाणित है। बिना साक्ष्य के उक्त दावेदारों को अधिकार पत्र दिया जाना संभव नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि साक्ष्य से कब्जा प्रमाणित है तो अधिकार पत्र दिया जा सकता है। अतः सभी 249 दावों को पुनः जॉच एवं साक्ष्य की दावेदारों से पूर्ति कराने हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को दावे प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति,किशनगंज का पाबन्द किया जाता है कि तत्काल ग्राम सभा आयोजित कर, सभी दावो में दावेदार के कब्जा व साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजात् यथा बड़े बुर्जुग के साक्ष्य, राशनकार्ड, वोटर पहचान पत्र, नल व बिजली के बिल, आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य कोई साक्ष्य है तो पत्रावली में शामिल कराकर, पुनः आदेश पारित कर, स्वीकृत दावों को तीन दिवस में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां में भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

2– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां (हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना)

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में वन भूमि रकबा 286.47 है0 निहिंत होने से, उक्त भूमि का उक्त अधिनियम के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति चाहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। इस परियोजना के प्रस्ताव में ग्राम पंचायत, सुवांस के ग्रामों की कुल 69.89 है0 भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, सुवांस की बैठक दिनांक 27.12.2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत करवारीकलॉ के ग्रामों की कुल 216.58 है0 का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, करवरीकलॉ की बैठक दिनांक 27.12.2017 को अनुमोदन किया गया है। दोनो ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 08.01.2018 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

PDF Compressor Free Version

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रत्यावर्तन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब हेतु अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म--।।) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क0सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अधीन वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत		प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)		ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों / ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
						खस0	रकबा		
1.	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र की वन भूमि प्रत्यावर्तन	किशनगंज	करवरीखुर्द	ग्राम पंचायत करवरीकलॉ	68 / 1	10.60	27.12.2017	08.01.2018
						340 / 1	13.92		
						341 / 1	05.56		
						337 / 1	0.04		
						338 / 1	0.22		
						339 / 1	29.73		
						353 / 1	04.86		
							64.93		
				करवरीकलॉ		260	4.86		
						584 / 276	5.18		
						254 / 1	29.14		
						255	8.33		
						256	0.99		
						614 / 280	2.75		
						275 / 1	25.57		
						274	24.93		
						342	0.34		
						265	1.62		
						266	7.45		
						267	10.20		
						271	2.59		
						273	16.19		
						591 / 272	1.62		
						345	0.27		
						405 / 1	7.52		
						514	1.62		
						515	0.32		
						516	0.16		
							151.65		
				बामनदेह		115	4.86		
						117	2.35		
						118 / 1	0.80		
							8.01		

				गोरधनपुरा उर्फ बांझआमली	ग्राम पंचायत सुवांस	65 86/63 64 71 70 73/84 85/72	20.08 9.71 0.48 1.46 12.14 4.86 13.15 61.88	27.12.2017	08.01.2018
महायोग							286.47 है0		

3– उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा (अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पाईप लाईन)

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने में प्रयुक्त वन भूमि रकबा 4.910 है0 के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। इस प्रस्ताव में ग्राम पंचायत, मौखमपुरा के 3 ग्रामों की कुल 4.819 है0 भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, मौखमपुरा की बैठक दिनांक 2.10.2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत राई के 1 ग्राम की कुल 0.091 है0 का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, राई की बैठक दिनांक 2.10.2017 को अनुमोदन किया गया है। दोनो ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, छीपाबडौद को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति,छीपाबडौद द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 27.11.2017 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पाईप लाईन के उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रकियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एंव नियम,2008 एवं संशोधित नियम,2012 की धारा, 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म–1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क0सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अधीन वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत		प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)		ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों/ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
						ख0नं0	रकबा		
1.	उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा	अकावद परवन डेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पाईप लाईन	छीपाबडौद	पीपल्या घाटा		1	1.267		
				मौखमपुरा		84 86 88 89 90	0.789 0.084 0.535 0.227 0.029	02.10.2017	

PDF Compressor Free Version

					ग्राम पंचायत	519	1.631 3.295		27.11.2017
				कोहडी	मौखमपुरा	159	0.257		
				रांवा	राई	2 25	0.078 0.013 0.091	02.10.2017	
महायोग							4.910 है0		

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ0 एस.पी. सिंह)
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
बारां

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

(रामजीवन मीना)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी माडा जिला परिषद,बारां

(सरोज मीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

(कृष्णमुरारी मीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

(निर्मला मीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

क्रमांक / रीडर / डी0एम0 / वनाधिकार / 18 / 75–87 दिनांक– 17.01.2018

निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है–

1– अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां
4. उपखण्ड अधिकारी किशनगंज / छीपाबडौद 5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज / छीपाबडौद
6. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां 7– उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा
8. श्री कृष्णमुरारी मीणा, सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता–ग्राम टिगरी, पोस्ट–हानीहेडा, तहसील–अटरू जिला–बारां
9. श्रीमती निर्मलाकुमारी मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता– भीलों का मौहल्ला ग्राम व पोस्ट– मूडला बिसौती, तहसील–अटरू जिला–बारां
10. श्रीमती सरोज मीणा, सदस्या, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता– ग्राम मोरेली, पोस्ट–सेमली, तहसील–छबडा जिला–बारां

सचिव,
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी(माडा)
जिला परिषद, बारां

PDF Compressor Free Version

कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी किशनगंज जिला–बारां

क्रमांक :– दिनांक :–

–:: उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति ::–

आज दिनांक 8-1-18 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 तथा संशोधित नियम–2012 की धारा–3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल 176 दावें प्राप्त हुऐ है, उक्त अधिनिमय के प्रावधानों के अनुसार कुल 54 दावें निरस्त किये गये तथा कुल 122 दावों को अधिकार पत्र जारी करने कि अनुशंषा उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज द्वारा की गयी है तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बारां को अनुशंषा के साथ अग्रेषित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज के समक्ष लम्बित या प्रकियाधीन नही है।

संबंधित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 तथा संशोधित नियम–2012 की धारा–3(1) व (3)2 के तहत **हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना** के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यार्वतन की अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टयर	हेक्टयर
1	2	3	4	5	6	7
1	करवरीकलां	किशनगंज	मौजा, करवरीखुर्द	68/1, 340/1, 341/1, 337/1,338/1, 339/1, 353/1	94.34	64.93
2			मौजा, करवरीकलां	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 591/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
1	सुवांस	किशनगंज	मौजा, बामनदेह	115, 117, 118/1	78.27	8.01
2			मौजा, गोरधनपुरा उर्फ बाझ आमली	65, 86/63, 64, 71, 70, 73/84, 85/72	91.91	61.88
			कुल योग	37	668.58	286.47

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज

मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

PDF Compressor Free Version

Annexure-I

आज दिनांक 8-1-2018 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 1 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया हैं, उसको उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम–2012 की धारा 3 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावें लम्बित नहीं हैं। अतः सर्वसम्मति से उक्त बांध के उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड	रेंजर वन क्षेत्र	विकास अधिकारी पं.सं.

उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक दि० 8-1-2018

आज दिनांक 8-1-2018 को प्रधान खण्ड स्तरीय समिति की बैठक गोपाल लाल आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उप खण्ड बिजयनगर की उप खण्ड स्तरीय मीणा उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में रहे। बैठक में उपस्थित लिया गया —

क्र.स.	नाम अधि०/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	श्री गोपाल लाल मीणा	SDM.	sd
2	" सेवाराम मीणा	प्रधान	sd
3	" दिवाकर मीणा	बी.डी.ओ.	sd
4	" रामहेत मीणा	उपप्रधान	sd
5	श्रीमती हीरा मीणा	सदस्य	हीरा
6	श्री भूपेन्द्र सिंह [illegible]	R.O.	sd

मूल संशोधन प्रस्ताव 3-1-2018 के निर्णयानुसार दावा हेतु प्रस्तावित हेतु प्राप्त हुए इनमें निम्न परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2012 की धारा 3(1) अधिसूचना के तहत कुल 176 दावे प्राप्त कुल 54 दावे निरस्त किये गये तथा कुल अनुशंसा उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार, स्तरीय वनाधिकार समिति प्रस्तावों को अनुमोदित कर भेजा (अधिकार-पत्र) उप खण्ड स्तरीय या विचाराधीन नहीं है। जनजाति के पत्र क्रमांक 2672/दि० महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि [illegible] अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 व 2012 के तहत प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त हुए है उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 122 दावों को अधिकार-पत्र जारी करने की कार्यवाही ग्राम सभा द्वारा की गई है तथा [illegible] के साथ [illegible] की गई है वर्तमान में वनाधिकार समिति बिजयनगर समक्ष लम्बित

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा	कुल रकबा (हेक्टे में)	डिमके सहायक सिंचाई परियोजना द्वारा डूब क्षेत्र का रकबा (हेक्टे)
1	कादेडा	बिजयनगर	मोजा कचरीखेड़ी	68/1, 340/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 343/1	94.34	64.33

2			गोपाल? सदावीरा?	260, 284/ 614/280, 275 267, 271, 273 515, 516,	276, 254/1, 255, 256 /1 274, 342, 265, 266 , 591/272, 345, 405/1, 514	404.03	151.65
3.	कुंवारिया?	[illegible] रोड	मौजा जामनगर?	115, 117, 118/1		78.27	8.01
4			मौजा [illegible]	65, 86/63	64, 71, 70, 73/84, 82/72	91.91	61.88
कुल योग					37 खसरे	668.58 हैक्टर	286.47 हैक्टर

संलग्नित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 4(5) के तहत [illegible] [illegible] परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड-अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

PDF Compressor Free Version

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।

प्रपत्र क
(पैरा 2.2(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) प्रस्तावित परियोजना/योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन । हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क स्थान–सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना
ख क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में) 286.50 है.
ग वन मंडल – रेंज किशनगंज
घ 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं

(3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता बाँध निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान।

(4) प्रत्येक हैक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या – नहीं

2. प्रस्तावित भवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग–अलग विवरण ।

3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण संलग्न करें)।

4. ग्राम सभा की संस्तुति – स्वीकृत (✓)/अस्वीकृत

(जैसा भी मामला हो (√) का निशान लगाएं) । (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम.........................
(मनोज कुमार गोयल)
पता.........................
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड तृतीय
बारां (राज.)

तिथि.........................
स्थान.........................

प्रस्ताव की क्रम संख्या.........................
(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

PDF Compressor Free Version

प्रपत्र ख

(पैरा 2.2(4) देखें)

(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या...

परियोजना/योजना का स्थान

(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र – राजस्थान
(2) जिला – बारां
(3) वन विभाग – रेंज किशनगंज
(4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)
क स्थान–सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित क्षेत्र
ख क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में) – 286.50 है.
क्या यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है। नहीं

प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग–अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किये जाने का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।

प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार।

रेंज वन अधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
किशनगंज
नाम भूपेन्द्र सिंह हाड़ा
कार्यालय मुहर.....................................

....

....

उल्लेख करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम...
कार्यालय मुहर.....................................

....

....

PDF Compressor Free Version

कार्यालय ग्राम पंचायत सुवांस जिला—बारां

क्रमांक :— ग्रा/सु/2017/1-1-5 दिनांक :— 29.12.17

—:: ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ::—

आज दिनांक 27.12.17 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम—2006 एवं नियम—2008 तथा संशोधित नियम—2012 की धारा—3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल NIL दावें प्राप्त हुऐ है, जिन्हे अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंषा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस द्वारा की गयी है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज को अनुशंषा के साथ अग्रेषित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवांस के समक्ष लम्बित या प्रक्रियाधीन नही है।

संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम—1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम—2006 एवं नियम—2008 तथा संशोधित नियम—2012 की धारा—3(1) व (3)2 के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टयर	हेक्टयर
1	2	3	4	5	6	7
1	सुवांस	किशनगंज	मौजा, बामनदेह	115, 117, 118/1	78.27	8.01
2			मौजा, गोरधनपुरा उर्फ बांझ आगली	65, 86/63, 64, 71, 70, 73/84, 85/72	91.91	61.88
			कुल योग	10	170.18	69.89

सचिव ग्राम पंचायत सुवांस पं स किशनगंज जि बारां

सरपंच ग्राम पंचायत सुवांस पं स किशनगंज जि बारां

वनपाल मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

PDF Compressor Free Version

Annexure-V

आज दिनांक.................................को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र मे आने वाली हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं उसके डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि के संबंध में चर्चा की गई। अतः सर्वसम्मिति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बांध के निर्माण में किसी भी सदस्य को बांध बनानें में कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 58-59 पर इन्द्राज हैं तथा ग्राम सभा में वनाधिकार समिति के 50 प्रतिषत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

सरपंच, ग्राम पंचायत
सरपंच
ग्राम पंचायत सुवांस
प. स. किशनगंज जि. बारां

वनपाल

सचिव
सचिव ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत सुवांस
प. स. किशनगंज जि. बारां

प्रपत्र संख्या – 1

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा – 6
G. P. 11

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप समिति [illegible] पंचायत समिति [illegible] जिला [illegible] वर्ष 2017-18

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
27/12/17	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				ग्राम सभा [illegible]	[illegible]
		सरपंच ग्राम पंचायत [illegible]		27-12-17 ([illegible])	[illegible]
			[illegible]		
			(1) [illegible]	[illegible]	[illegible]
			(2) [illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	2017/2585 दिनांक 20.12.17 की [illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]		
			[illegible]	प्रस्ताव 1 [illegible]	[illegible]
			[illegible]		
			[illegible]	प्रस्ताव 2 [illegible]	[illegible]

		हस्ताक्षर सदस्य वन अधिकार समिति	प्रस्ताव 3 हथियाई हेतु ग्राम सभा ... परिक्षेत्र	
			कि इस क्षेत्र में आने वाली वन भूमि उपयोग हेतु FRA Certif. code (वनाधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने बाबत	
			आज दिनांक 12.1.17 को ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति सुवास की दिनांक ...12.17 को गई इसके द्वारा निरीक्षण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 3(1) व 3(2) के तहत प्रमाणित वन भूमि का उक्त अधिनियम के तहत कोई दावे प्राप्त नहीं है वर्तमान में कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवास के समक्ष लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है	सोनु बोरल गोबर्धन लाल जनक कुमारी पप्पू जाटव
			ग्राम सभा सुवास द्वारा प्रमाणित वन भूमि प्रयोजन की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के	

PDF Compressor Free Version

प्रपत्र संख्या – 1

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा – 6

G. P. 11

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप समिति [illegible] पंचायत समिति [illegible] जिला [illegible] वर्ष 2017-17 59

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / उपपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
[illegible]	[illegible]			[illegible]	
				[illegible]	
				[illegible] 2012 [illegible]	
				[illegible]	
				[illegible]	
				[illegible]	
				[illegible]	
			क्र.सं. 1	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	65 84/63 6471 [illegible] 61-88
				[illegible]	
				[illegible]	

[illegible] सरपंच

			[illegible]	65 87/63 (47)	91-91	61-88
			[illegible]	70 73/84/85/[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Aen W.R.D.

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]

PDF Compressor Free Version

कार्यालय ग्राम पंचायत करवरीकलां, जिला–बारां

क्रमांक :– 24-25 दिनांक :– 27-12-017

–:: ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ::–

आज दिनांक 27-12-17 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 तथा संशोधित नियम–2012 की धारा–3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल 176 दावें प्राप्त हुऐ है, जिन्हे अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंषा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति [illegible] द्वारा की गयी है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज को अनुशंषा के साथ अग्रेषित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति [illegible] के समक्ष लम्बित या प्रकियाधीन नही है।

संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 तथा संशोधित नियम–2012 की धारा–3(1) व (3)2 के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टयर	हेक्टयर
1	2	3	4	5	6	7
1	करवरीकलां	किशनगंज	मौजा, करवरीखुर्द	68/1, 340/1, 341/1, 337/1,338/1, 339/1, 353/1	94.34	64.93
2			मौजा, करवरीकलां	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 591/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
			कुल योग	27	498.37	216.58

वनपाल

ग्राम सेवक

सरपंच ग्राम पंचायत

सरपंच ग्राम पंचायत करवरीकलां पं.स. किशनगंज जि. बारां

मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

मनोनित सदस्य

PDF Compressor Free Version

Annexure-V

आज दिनांक 27-12-017 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र मे आने वाली हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं उसके डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि के संबंध में चर्चा की गई। अतः सर्वसम्मिति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बांध के निर्माण में किसी भी सदस्य को बांध बनानें में कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक ... पर इन्द्राज हैं तथा ग्राम सभा में वनाधिकार समिति के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत ...
पं.स. ...

अध्यक्ष
जयपाल

अध्यक्ष
जयपाल

सचिव ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत ...
... जि. ...

सदस्य
रामचरण

सचिव
आत्मा

PDF Compressor Free Version

प्रपत्र संख्या – 1

आर. के. मार्गव प्रपत्र सप्लाई कोड – 6

G. P. 11

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप समिति ......कुरवरीकलां...... पंचायत समिति ......बिजयनगर...... जिला ......अजमेर...... वर्ष २०१७-१८ (21)

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
२७-१२-०१७	पंचायत भवन कुरवरीकलां	श्रीमान उपेन्द्र आर्य सरपंच महोदय		आज दिनांक स्थान-नाम को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद अजमेर के पत्र क्रमांक जि.प./ टी एस. सी./ स्थाप: १८/ ६०६ दिनांक २०/१२/२०१७ के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के नियम २००८ एवं संशोधित नियम २०१२ की क्रियान्विति के क्रम में विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर [illegible] सिंचाई परियोजना हेतु एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा। आयोजन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र कुरवरीकलां में ग्राम सभा का आयोजन सुबह १० बजे से सायं ५:०० बजे तक रखी गई जिसमें निम्न प्रस्ताव लिया गया है।	
			उपसरपंच चन्द्र प्रकाश वार्ड नं. २		
			वार्ड पं. नं. १ [illegible]		[illegible]
			वार्ड पं. ३ [illegible]		
			वार्ड नं. ५ अशोक [illegible]		अशोक [illegible]
			वार्ड नं. ८ [illegible]	प्रस्ताव १ आज दिनांक २७-१२-२०१७ को ग्राम सभा [illegible] कुरवरीकलां में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित वन भूमि पर अनुसूचित	[illegible]

प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम - 1980

3. प्रावधानानुसार, अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 एवं नियम - 2007 तथा संशोधित नियम - 2012 की धारा 4(1) व 3(2) के, तहत हसियाड़ेह मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है। भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ग्राम,	नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	डूबान में रकबा
1	किसन गंज	[illegible]	88/1,345,1,340/1,337/1,338, 1,339/1,353/	94.29 हे.	64.93 हे.
2	-//-	[illegible]	260,384/276,254/1,253,28 614,280,275,1,274,349, 265,266,267,271,273,591 272,345,405,1,514,515,516	404.23 हे.	151.65 हे.
		कुल	27 खसरा	458.37 हे.	216.58 हे.

उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से हसियाड़ेह मध्यम सिंचाई परियोजना [illegible] का प्रस्ताव लिया जाता है [illegible] अंत में [illegible] सभा [illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible] जि. [illegible]

प्रपत्र संख्या – 1

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा
G. P. 11

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप समिति कुरवरीखेला पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां वर्ष 2017-18

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच / सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों का नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
				उक्त प्र. आज दिनांक 27-12-017 को ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुरवरीखेला की बैठक की गयी इसमें विवरण अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन वासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व 3(2) के तहत प्रस्तावित वन भूमि पर प्राप्त अधिसूचना के तहत कुल 176 दावे प्राप्त हुए है। जिन्हे अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंषा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुरवरीखेला द्वारा की गयी है। तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति किशनगंज को अनुशंषा हेतु प्रेषित की गयी है। वर्तमान में आज कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कुरवरीखेला के समक्ष लम्बित [illegible] नहीं है। ग्राम सभा कुरवरीखेला [illegible] अनुसूचित जनजाति [illegible] की [illegible] अधिनियम -1950	रामपाल रामचरण

जनजाति कार्ड | जिसमें निम्नलिखित वन भूमि पर अनुमोदित | प्रस्तावक

हरि प्रसाद शर्मा — वार्ड नं. 6 उमराव सिंह जायपाल

वार्ड नं. 7 राधारानी A.N.M. सुरेश बाई

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) वनपाल अधिकारी — वार्ड नं. 8 ग्रामपाल हरिराम रैदा

वार्ड नं. 9 कन्हैयालाल

जनजाति एवं परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम - 2006 (एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) व (2) के तहत प्रस्तावित वनभूमि पर इन आदिवासी के तहत कुल 176 दावे प्राप्त हुए हैं। जिन अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंसा ग्राम सभा द्वारा की गई तथा उपखण्ड स्तरीय समिति जिला स्तरीय से अनुशंसा के साथ अनुमोदित की गई। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम सभा के समक्ष लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। कुल भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। हमें गाँव में स्थापित होने वाली परियोजना के लिए प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र. सं.	पटवार	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	किशन गढ़	उमरी टुंडे	681/1, 340/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 352/1	74.34 है.	64.93 है.
2	"	उमरी गुर्जा कुम्भोजा	260, 264/276, 251/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 281/233, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03 है.	151.63 है.
			27 खसरा	478.37 है.	216.56 है.

जायपाल

उमराव सिंह

हरिराम

कन्हैयालाल

जायपाल

PDF Compressor Free Version

[illegible] सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि का विवरण

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम खसरा नं.	कुल रकबा बीधा–बीस्वा	रकबा जो डूब क्षेत्र में आ रहा है बीधा–बीस्वा	
1	मौजा बामनदह	115	260-06	30-00	
		117	14-10	14-10	
		118/1	208-15	05-00	
	योग :–	3 खसरा नं.	483-11	49-10	8.01 हैक्टर
2	मौजा गोरधनपुरा उर्फ बांझ आमली	65	159-19	124-00	
		86/63	69-11	60-00	
		64	3-12	03-00	
		71	9-04	09-00	
		70	168-09	75-00	
		73/84	75-17	30-00	
		85/72	81-05	81-05	
	योग :–	7 खसरा नं.	567-17	382-05	61.88 हैक्टर
3	मौजा करवरी खुर्द	68/1	65-10	65-10	
		340/1	86-00	86-00	
		341/1	34-06	34-06	
		337/1	0-05	0-05	
		338/1	1-07	01-07	
		339/1	183-14	183-14	
		353/1	211-15	30-00	
	योग :–	7 खसरा नं.	582-17	401-02	64.93 हैक्टर
4	मौजा करवरीकलां	260	139-00	30-00	
		584/276	32-02	32-00	
		254/1	196-11	180-00	
		255	269-06	51-10	
		256	314-00	06-02	
		614/280	17-00	17-00	
		275/1	157-19	157-19	
		274	164-09	154-00	
		342	02-02	02-02	
		265	97-15	10-00	
		266	103-00	46-00	
		267	187-10	63-00	
		271	130-10	16-00	
		273	218-15	100-00	
		591/272	103-18	10-00	
		345	01-13	01-13	
		405/1	46-10	46-10	
		514	107-06	10-00	
		515	43-16	02-00	
		516	162-19	01-00	
	योग :–	20 खसरा नं.	2496-01	936-17	151.65 हैक्टर
	कुल योग :–	37 खसरा नं.	4130-06	1769-14	286.47 हैक्टर
				Say	286.50 हैक्टर

अधिशापी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड ततीय, बाराँ